प्रस्तावित अभियान के मुख्य उद्देश्य

- राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित धारा 138 एन.आई. एक्ट और बैंकों के ऋण वसूली के मामलों के निस्तारण के लिए विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग के व्यक्तियों, दिव्यांगों, किसानों एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के मामलों हेतु सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के लिए एक Uniform One Time Settlement Scheme प्रमुख राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के विधि अधिकारी एवं अखिल भारतीय बैंक विधि अधिवक्ता संगम ट्रस्ट के सहयोग से बनाया जाना।
- इस OTS Scheme को राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर संपूर्ण राजस्थान में लागू किए जाने बाबत् अखिल भारतीय बैंक विधि अधिवक्ता संगम ट्रस्ट द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जाकर सभी हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना।
- "NPA free village" की अवधारणा को मूर्त रूप देना।
- राज्य में गरीब महिलाओं, कृषक, कृटीर उद्योगों से जुड़े लोगों तथा दिव्यांगों इत्यादि में बैंकिंग समझ (Awareness) विकसित कर उन्हें उचित सहायता प्रदान करना/समस्याओं का निराकरण करना।
- बैंकिंग नियमों/बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, योजनाओं का निर्धन, उपेक्षित, अनपढ़ जन–समुदाय में उचित प्रचार और प्रसार करना, जिससे उनकी कठिनाइयों का समुचित निवारण किया जा सके।
- ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिवक्ताओं को बैंकिंग विधि की जानकारी बैंकिंग विधि अधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से प्रदान करना।

क्रियान्वयन पद्धति

- आरंभिक तौर पर उक्त अभियान के तहत प्रत्येक जिला एवं तालुका मुख्यालय पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अखिल भारतीय बैंक विधि अधिवक्ता संगम ट्रस्ट से समन्वय स्थापित करते हुए "जागरूकता एवं समझौता शिविर" का आयोजन किया जावेगा, जिसमें आमजन की बैंकिंग समझ विकसित करने के साथ ही ऋण के भुगतान में चूक हो जाने वाले मामलों को भी आपसी सुलह एवं समझाईश के माध्यम से शिविर में ही निपटाया जावेगा।
- प्रत्येक माह में एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जागरूकता एवं समझौता शिविर का आयोजन किया जावेगा।
- उक्त शिविर में अखिल भारतीय बैंक विधि अधिवक्ता संगम ट्रस्ट के पदाधिकारी, बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक अथवा उनकी ओर से अधिकृत सक्षम अधिकारी, स्थानीय राजकीय अधिकारी, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से पैनल अधिवक्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भागीदारी करेंगे।
- उक्त जागरूकता शिविर का आयोजन किसी खुले स्थान पर स्थानीय बैंक के सहयोग से टेंट/कैनोपी लगाकर अथवा संबंधित तहसील/उप–तहसील के भवन, पंचायत समिति/पंचायत के भवन, जिला परिषद के भवन, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के भवन में भी किया जा सकेगा।
- जागरूकता/समझौता शिविर में आने वाले प्रतिभागियों हेतु जलपान की व्यवस्था स्थानीय भामाशाह/बैंक/स्वयं सेवी संगठन/चैरिटेबल ट्रस्ट की सहायता से की जा सकेगी।
- जागरूकता/समझौता शिविर के आयोजन की तिथि से युक्तियुक्त समय पूर्व उसका प्रचार–प्रसार संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा पी.एल.वी. के सहयोग से किया जावेगा।
- बैंकिंग नियमों/बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं योजना ट्रस्ट द्वारा सरल भाषा में छपवाकर वितरित की जावेगी।
- पैनल अधिवक्ता द्वारा ऋण वसूली से संबंधित मामलों के संबंध में आवश्यकता होने पर संबंधित को कानूनी सलाह दी जावेगी।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर बेंच, जयपुर।
(Phone: 0141-2227481, 2227555 FAX)
Email : Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in
Help Line No.: 9928900900

पुनर्भुगतान संस्कृति को बढ़ावा देने एवं पुनर्स्थापना हेतु रालसा का अभिनव प्रयास

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

रालसा की अखिल भारतीय बैंक विधि अधिवक्ता संगम ट्रस्ट के सहयोग से एक व्यापक अभियान आरंभ करने की कार्य–योजना

वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ऋण लिया जाना आम जन–जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। उद्योगपति, कृषक, लघु उद्यमी, बेरोजगार युवा, महिला या विद्यार्थी सहित सभी वर्ग को किसी न किसी आवश्यकता के लिए ऋण लेना पड़ जाता हैं। इस आवश्यकता को बैंकिंग वर्ग के द्वारा पहचाना जाकर हर प्रकृति एवं हर क्षेत्र में ऋण देने के लिए लुभावनी योजनाएं जारी की गई हैं, जिसका सबसे आकर्षक भाग सुविधानुसार किश्तों में भुगतान का प्रावधान है, जिससे आकर्षित होकर ऋण लेने वालों की संख्या में काफी इजाफा तो हुआ है लेकिन उसी अनुपात में ऋण लेकर उसका समय पर भुगतान नहीं करने वालों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। नतीजतन संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है।

बैंक ऋण की किश्त नहीं चुकाने की वजह से चैक अनादरण के मामले, धन वसूली के वाद व इजराय तथा आर्बिट्रेशन अवार्ड की इजराय जैसे मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है जिसके कारण न्यायालयों पर मुकदमों का भार बढ़ रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त प्रकृत्ति के प्रकरणों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए समय–समय पर निर्देश दिए जाकर विशेष कार्य–प्रणाली अपनाए जाने की आवश्यकता बताई है। इसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत ऐसे मामलों को राजीनामा के माध्यम से निस्तारित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने बाबत् निर्देशित किया है।

समय पर ऋण भुगतान न हो पाने से उत्पन्न समस्याएं

- बैंकों/वित्तीय संस्थानों की ऋण वसूली न हो पाने से धन प्रवाह अवरुद्ध होना।
- बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त ऋण या धन की वसूली के लिए मानव संसाधन व धन का अपव्यय।
- चैक अनादरण तथा धन वसूली संबंधी मुकदमों का अधिकाधिक संख्या में दायर होना एवं इस कारण आनुषंगिक मामलों (इजराय तथा आर्बिट्रेशन अवार्ड की इजराय) की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होने से न्यायालयों पर अत्यधिक भार।

समय पर ऋण भुगतान न हो पाने के कारण

ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर पाने वाले व्यक्ति सामान्यतः समाज के कमजोर तबके के लोग, कृषक, महिलाएं, बेरोजगार युवा एवं अशिक्षित/कम पढ़े–लिखे लोग हैं, जो प्रकृति एवं स्वभाव से बेईमान नहीं हैं। सामान्यतः ऋण आवेदन प्रपत्र में जो शर्तें अंकित होती है उसे न तो ऋण लेने वाला व्यक्ति पढ़ता है, न ही ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान का अधिकारी/कर्मचारी ऋणी को समझाता है। आमजन व गरीब तबके के लोगों में बैंकिंग समझ का अभाव होता है जिसके कारण वे बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जिस योजना के तहत ऋण दिया जाता है उसकी शर्तों को समझ नहीं पाते हैं एवं इस कारण से ऋणी को कई बार काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त मार्गदर्शन के अभाव में एवं बिचौलियों के स्वार्थ के कारण उनके ऋण खाते प्रायः एन.पी.ए. हो जाते हैं।

जब बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही की जाती है तो कानूनी जानकारी के अभाव में प्रायः ऋणी के विरुद्ध एक–तरफा कार्यवाही हो जाती है। इस प्रकार बैंक तथा ऋणी के मध्य दूरी बढ़ने, उचित सामंजस्य नहीं होने के कारण न्यायालयों में भी जहां एक ओर दायर होने वाले मुकदमों की संख्या बढ़ती है वहीं दूसरी ओर विचारण की प्रक्रिया लंबी होने के साथ ही ऐसे मामलों के सुलह एवं समझाईश के माध्यम से निस्तारण में भी बाधा आती है।

राजस्थान में उपर्युक्त प्रकृति के मुकदमों की स्थिति

सांख्यिकीय दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान राज्य में धारा 138 एन.आई. एक्ट के लगभग 6 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से अधिकांश प्रकरण बैंक/वित्तीय संस्थान से संबंधित हैं।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अभिनव प्रयास

समस्या की मूल/जड़ को समाप्त करने के लिए "अखिल भारतीय बैंक विधि अधिवक्ता संगम ट्रस्ट" के सहयोग से बैंकिंग नियमों, बैंक द्वारा समय–समय पर जारी योजनाओं का निर्धन, उपेक्षित व अनपढ़ जन–समुदायों में उचित प्रचार–प्रसार व उनके समक्ष आने वाली कठिनाईयों का निराकरण किए जाने के संबंध में रालसा द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने की कार्य–योजना बनाई है, जिसके तहत रालसा तथा ट्रस्ट आपसी सहयोग से ग्रामीण व अर्द्ध–शहरी क्षेत्र के ऋणियों को बैंक द्वारा जारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देने और योजनाओं का लाभ उठाकर ऋण से मुक्ति पाने के लिए जागरूक करने हेतु माह अगस्त–2022 में एक व्यापक अभियान संचालित किया जावेगा, जिससे निश्चित रूप से निर्धन, कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों को सहायता मिलेगी।